न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेवसिह हाडा

ल संख्या 255/14

तारीख रजू– 24/09/14

न्द कुमार पुत्र गुलाबचंद जाति जैन निवासी गंगापुरसिटी। ------अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार,गंगापुरसिटी।
आयुक्त नगर परिषद,गंगापुरसिटी।

------ रेस्पो0

निर्णय

दिनांक– 14/07/15

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत सीलदार,गंगापुरसिटी द्वारा मिसल संख्या 53/14 मे पारित आदेश दिनांक 19/08/14 के विरूद्व प्रस्तुत है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम गंगापुरसिटी के आराजी ख0न0 463/630 रकवा 1.50 हेक्टर मे से हैक्टर पर किये गये अतिक्रमण से बेदखल,शास्ति व सक्षम न्यायालय मे नगर परिषद,गंगापुरसिटी द्वारा वली संख्या 108/09–10 मे जारी वाणिज्यिक शाश्वत लीज रजिस्टर्ड क्रम संख्या– 2013002675 क 21/08/13 को निरस्त करने की कार्यवाही की जावे साथ ही माननीय राजस्व अपील कारी,सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 17/06/13 की रोशनी मे लीजी द्वारा लीज शर्तो का उल्लघन के कारण लीज निरस्त करने हेतु श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय,सवाईमाधोपुर को निवेदन किया जावे विरूद्व इस न्यायालय मे पेश की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा लाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से कीय पेरोकार व रेस्पो0 संख्या 2 जरिये वकील उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि यालय राजस्व अपील प्राधिकारी,सवाईमाधोपुर की अपील संख्या 34/2013 निर्णय दिनांक /06/13 मे तहसीलदार स्वंय पक्षकार थे उन्हे अपील एंव दावे मे जो भी तथ्य थे पेश करना हिये थे। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा 17/06/13 को दावा डिक्री कर दिया है। यदि सीलदार को आपत्ती भी थी तो अपील पेश करनी चाहिये थी। उक्त भूमि जयपुर रियासत द्वारा धिवत आबंटित भूमि थी जिस पर महेश टाकीज चलता था। अतः यह कहना कि अपीलार्थी का कीय भूमि पर अतिक्रमण होना उचित नही है। उक्त भूमि जयपुर रियासत द्वारा सन् 1945 मे बंटन की थ्री उस समय तक भू–राजस्व अधिनियम प्रभाव मे नही आया था। अतः उक्त प्रकरण मे सीलदार का आदेश मनमाना है उनका कोई एक स्टेण्ड भी नही है। तहसीलदार द्वारा अनावश्यक से कार्यवाही की है। अपीलार्थी ने नामान्तरकरण संख्या 378 ग्राम गंगापुरसिटी की नकल पेश है। मुताबिक नामान्तरकरण 01/12/14 को भूमि अपीलार्थी के नाम तहसीलदार द्वारा दर्ज की चुकी है। अपीलान्तर्गत जिस तहसीलदार ने विचाराधीन निर्णय पारित किया था उनके द्वारा भी लार्थी के पक्ष मे नामान्तरकरण दर्ज किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान राजकीय पेरोकार ने बहस मे तर्क दिया कि तहसीलदार द्वारा राजकीय भूमि राजस्व कार्ड मे दर्ज होने के कारण उक्त निर्णय पारित किया है जो उनके द्वारा राजस्व रिकार्ड के नुसार पारित किया है। उक्त प्रकरण मे अभी पक्षकार के हित तय होने है। राजस्व मण्डल मे

जिला कलेक्टर
ई माधोपुर

ण विचाराधीन है। अतः अदालत मातहत का निर्णय राजस्व रिकार्ड के अनुसार उचित है। अतः ल अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

दोनो पक्षो की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अदालत मातहत की पत्रावली का ोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय एवं के संबंध मे तहसीलदार द्वारा जरिये नामान्तरकरण संख्या 378 के भूमि अपीलार्थी के नाम दर्ज है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत 19 / 08 / 14 जो आदेश पारित किया है वह स्वतः ही कानून सम्मत होना सिद्व नही होता है। राजस्व अपील कारी के निर्णय एंव डिक्री को दरगुजर कर जो आदेश पारित किया है वह विधि सम्मत नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ ालय का निर्णय दिनांक 19 / 08 / 14 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14 / 07 / 2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर